खदानों पर पाबंदी बनी मुनाफ़े का धंधा

फरीदाबाद (म.मो.) दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद होते हुये राजस्थान तक फ़ैली अरावली पर्वत श्रृंखला से पत्थर व बजरी खोदने का धंधा बहुत पुराना है। पत्थर से रोड़ी बनाने के क्रेशर पहले दिल्ली के आनंद पर्वत क्षेत्र में होते थे। आबादी बढ़ने के साथ वहां पाबंदी लगी तो फरीदाबाद के अनंगपुर, लक्कड़पुर, गुरुकुल आदि में आ लगे। यहां भी बसावट होने के बाद पाली गांव मांगर क्षेत्र में विशेष तौर पर क्रेशर जोन बनाया। यहां कुछ काम जमने लगा तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने पहाड़ों से पत्थर खोदने पर पाबंदी लगा दी। इस पाबंदी का अर्थ होता है-क्रेशर बंद हो जाये और इनके बंद होने से तमाम निर्माण कार्य - मेट्रो रेल, फ्लाईओवर, सड़कें व इमारतें आदि भी स्वत: बंद हो जायें। लेकिन अब तक कोई भी निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ, सब काम ज्यों के त्यों चल रहे हैं। हां, उनका लागत मूल्य ज़रूर काफ़ी बढ़ गया है।

लागत मूल्य बढ़ने का कारण है चोरी से पहाड़ खोदना और पत्थर निकालना। जाहिर है, चोरी को पकड़े जाने से बचाने के लिये भारी मात्रा में रिश्वत देनी पड़ती है। चोरी के इस धंधे से माल-पत्थर, रोड़ी आदि महंगा हो जाता है, वहीं चंद लोग़ों का मुनाफ़ा अत्यधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा माल को ट्रकों द्वारा दूर-दराज के इलाकों से लाने के कारण लागत मूल्य भी बढ़ जाता है। ढुलाई लागत को कम करने की नीयत से ट्रकों में क्षमता से अधिक माल भरा जाता है जिसके बदले हर एसडीएम, आरटीओ, पुलिस आदि अपने-अपने इलाके से गुजरने के लिए प्रति गाड़ी के हिसाब से रिश्वत लेते हैं। यह रिश्वत वसूली जाती है पूरी ईमानदारी के साथ, यहां किसी की सिफ़ारिश आदि से काम नहीं चलता। समझा जाता है कि इस रिश्वत वसूली की जगहों पर तैनात होने और वहीं बने रहने के लिये अधिकारी-कर्मचारी 'ऊपर' तक सेवा करते हैं।

धंधे से जुड़े जानकारों के मुताबिक सोहना से नवनिर्वाचित विधायक धर्मवीर ने चोरी का पत्थर ढोने वालों के लिए एक अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर दी है। इस विधायक महोदय के पास नारनौल इलाके की पत्थर खदानों की पट्टेदारी है। लेकिन वहां से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) अथवा दिल्ली तक पत्थर लाना बहुत महंगा पड़ता है। लिहाज़ा ये महोदय आसपास से चोरी हुए पत्थर को नारनौल से लाया करार देने के एवज में 1500 रुपये की रसीद काट देते हैं। इस पर्ची के बाद चारी का पत्थर भी बिना चोरी का हो जाता है। इस तरह प्रतिदिन सैंकड़ों गाड़ियों की केवल पर्ची काटने से ही विधायक महोदय को बैठे-बैठाये अच्छी-खासी आमदनी हो जाती है।

सेक्टर-49 स्थित सैनिक कालोनी के साथ ही नगर निगम ने अरावली विहार नाम से एक कालोनी बनाई हुई है जिसके लगभग सभी प्लॉट बीसियों वर्ष पहले नगर निगम ने बेच दिये थे। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में यहां लोग़ बस नहीं पाये। बसना तो दूर, अधिकांश प्लॉट मालिकों को यह भी नहीं पता कि उनका प्लॉट है कहां पर? पत्थरचोरों द्वारा इसका लाभ उठाते हुए वहां बड़े पैमाने पर बड़ी-बड़ी मशीनों द्वारा खुदाई करके 20-30 फ़ीट ऊंची पहाड़ियों को 40-50 फ़ीट गहरे गड्ढे में परिवर्तित कर दिया है। मौका देखने पर इस संवाददाता ने यह पाया कि दिनभर वहां कोई काम नहीं होता, लेकिन शाम होते ही पत्थर खुदाई और ढुलाई का रात भर यह सिलसिला चलता रहता है।

बेशक रात के अंधेरे में चलता है यह धंधा, लेकिन खदान अधिकारी और स्थानीय पुलिस को रिश्वत दिये बिना एक भी ट्रक का निकलना इस कालोनी से संभव नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्थानीय विधायक एवं राज्य के एक अति महत्त्वपूर्ण मंत्री का निवास भी खुदाई स्थल से मात्र 100-200 गज़ के फ़ासले पर ही है। इस चोरी में मंत्री जी का भी कोई हिस्सा हो, यह बात तो गले नहीं उतरती, परंतु मंत्री जी को इस धंधे का ज्ञान न हो, यह भी उतनी ही अमान्य है।

सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की पाबंदियां लगती ही क्यों है, जिनका पालन ही नहीं किया जा सकता? जाहिर है, ये पाबंदियां केवल उन सशक्त एवं सत्ता के दलालों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाई जाती हैं जो इनके उल्लंघन से लाभ कमा सकें।

> "बेशक रात के अंधेरे में चलता है यह धंधा, लेकिन खदान अधिकारी और स्थानीय पुलिस को रिश्वत दिये बिना एक भी ट्रक का निकलना इस कालोनी से संभव नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि स्थानीय विधायक एवं राज्य के एक अति महत्त्वपूर्ण मंत्री का निवास भी खुदाई स्थल से मात्र 100-200 गज़ के फ़ासले पर ही है। इस चोरी में मंत्री जी का भी कोई हिस्सा हो, यह बात तो गले नहीं उतरती, परंतु मंत्री जी को इस धंधे का ज्ञान न हो, यह भी उतनी ही अमान्य है।"

हरामखोरी ढकने हेतु बीएसएनएल ने मांगे 8600 करोड़ रुपए

फरीदाबाद (म.मो.) भारत सरकार के उपक्रम बीएसएनएल (भारत संचार निगम लिमिटेड), जिसे बोलचाल की भाषा में टेलीफ़ोन विभाग कहा जाता है, ने अपने अस्तित्व को बचाने तथा एय्याशियों एवं हरामखोरियों को कायम रखने के लिए भारत सरकार से 8600 करोड़ रुपयों की मांग की है। इसके अलावा बीएसएनएल की यह भी मांग है कि केंद्र सहित सभी राज्य सरकारें अपने विभागों एवं उपक्रमों को केवल बीएसएनएल की सेवायें लेने के लिए बाध्य करें। इतना ही नहीं, 88634 करोड़ की परिसंपत्तियों वाले इस अजगर को उस 7000 करोड़ के ब्याज से भी माफ़ी चाहिए जो इसने पहले ही भारत सरकार से ले रखा है।

दरअसल, 1996 के आसपास तक इस विभाग ने एकाधिकार की मौज लूटी थी। इसका एक अदना-सा लाइनमैन भी टेलिफ़ोन लाइन ठीक रखने के बदले उपभोक्ताओं से मंथली वसूलता था, अफ़सरों के भ्रष्टाचार व दादागिरी के कहने ही क्या थे। ज़िले के डीसी व एसपी से मिलना आसान होता था, लेकिन इस विभाग के जीएम से मिलना प्रधानमंत्री से मिलने जैसा था। इनके वाहनों, लैटर हेडों व दफ़्तरों आदि पर टेलिफ़ोन सेवा न लिखा होकर बड़ा-बड़ा 'भारत सरकार' लिखा होता था और तीन शेरों के मुंह वाला सरकारी चिह्न बना होता था। दूसरे शब्दों में, विभागीय कर्मचारियों के दिमाग़ में सेवा वाली कोई सोच न होकर सिर्फ़ सरकारी अफ़सरी भरी हुई थी।

लेकिन अब पासा पलट चुका है। निजी कंपनियों ने इस सेवा में आ कर बीएसएनएल अफ़सरों को उनकी औकात बता दी है। अब इनसे मिलने शायद ही कोई जाता होगा। लाइनमैन की मंथली तो गई सो गई, कोई पानी को भी नहीं पूछता। इसके बावजूद इनके कामकाज के तरीकों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। यह जानते हुए भी कि ठीक से काम नहीं करेंगेतो कंपनी (बीएसएनएल) डूब जायेगी, इनकी हरामखोरियों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसके चलते वर्ष 2007-8 व 2008-9 में इनके अनेकों लैंडलाइन ग्राहक इन्हें नमस्ते कर गये। इसके चलते इन्हें 3500 करोड़ रुपये वार्षिक की आय से हाथ धोना पड़ा।

ग्राहकों को आकृष्ट करने के लिए बीएसएनएल तरह-तरह की विज्ञापनबाज़ी के साथ नयी-नयी स्कीमों की घोषणा तो करता है, लेकिन असल करने वाले कामों की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण खुद '**मज़दूर मोर्चा**' है। वर्ष 2008 के जून माह में 'मज़दूर मोर्चा' की ओर से इंटरनेट कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया। इसका कार्यालय एनआईटी के उसी एक नंबर में है जिसमें बीएसएनएल का सबसे पुराना एक्सचेंज है। इसके बावजूद यहां कनेक्शन लगाने में चार माह का समय लग गया, वह भी जब जीएम ने खुद अधीनस्थ कर्मचारियों को हड़काया। जुलाई 2009 तक प्लान के मुताबिक सही बिल करीब 650 रुपया आता रहा। लेकिन अगस्त में यकायक 4088रुपये का बिल आ गया। इनके बड़े दफ़्तर गये तो कोई सुनने वाला नहीं। लिख कर दिया तो कोई जवाब नहीं। अगले माह का बिल 11135 रुपये का भेज दिया। अक्तूबर माह में अगला बिल आ गया 4988 रुपये का। इसको लेकर पिछले पत्रों का हवाला दे कर फ़िर पत्र लिखा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं। लगता है किसी को पत्र पढ़ने की फ़ुर्सत ही नहीं, जवाब देने की नौबत तो बाद में आती है। मज़े की बात यह है कि सभी पत्र जीएम को संबोधित किये गये थे। पत्रों का जवाब देने तथा अपने बिलों का औचित्य सिद्ध करने की अपेक्षा बीएसएनएल ने कनेक्शन काट कर अपना एक उपभोक्ता कम करना बेहतर समझा।

जाहिर है, इन्हें उपभोक्ताओं की आवश्यकता भी क्या है, घाटा पूरा करने के लिये केंद्र सरकार का खजाना जो दिखाई पड़ रहा है। रही बात उपभोक्ता बढ़ाने की तो वह भी सरकार स्वयं बढ़ा देगी, इन्हें काम करने की जरूरत ही क्या है?

सूचना

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक समाचार पत्र

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी 9811159238

अब बल्लभगढ़ व पलवल के पाठक भी अपने हॉकर से मजदूर मोर्चा प्राप्त कर सकते हैं। किसी कठिनाई की स्थिति में संपर्क करें :

ललित कौशिक

शॉप नं.6, अंबेडकर चौक, बल्लबगढ़

मोब. 9278108329

भूटानी न्यूज़ एजेंसी

मीनार गेट, पलवल। मोब.: 09354112741, 09728382049

मार्किट उप-प्रधान की दादागिरी

करनाल (जेके पीके) शहर में ट्रैफ़िक समस्या का हल करने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) वी.एन. राय ने लोगों को प्रेरित कर सड़क सुरक्षा संस्था का गठन करवाया। पर जब इस संस्था के लोग ही कानून तोड़ने पर आमादा हों तो कोई क्या कर सकता है। उल्लेखनीय है कि सड़क सुरक्षा संस्था के उप प्रधान किशनलाल तनेजा ने पटरी पर सामान बेचने व चाट-मसाले बेचने वालों को किराया वसूल कर जगह देनी शुरू कर दी है। जब उप प्रधान ही अपनी धौंस जमा कर अवैध कार्य कर रहा हो तो दूसरे को कोई क्या कह सकता है।

उल्लेखनीय है कि परमानेंट रेहड़ी खड़ी रखने के दुकानदार पैसे लेता है और बिजली कनेक्शन भी अपनी दुकान से दे काफ़ी किराया वसूल करता है। चौड़ी से चौड़ी सड़क पर भी रेहड़ी वालों या घूम-घूम कर सामान बेचने वालों को ऐसा करने की अनुमति दे दी जाये तो सड़क छोटी हो जायेगी और ट्रैफ़िक व्यवस्था बदहाल हो जायेगी। पूर्व में जब भी रेहड़ी वालों को सड़क से हटाने की बात की गई, तनेजा ने अपनी उपप्रधानी का नाजायज फायदा उठाते हुए उनहें फ़िर से लगा दिया। अब पुलिस बार-बार रेहड़ियां हटवाती है और किशनलाल तनेजा बार-बार उन्हें खड़ी करवाते हैं।

दरअसल, हर्रे लगे न फिटकिरी, रंग चोखा हो जाये, कहावत इन पर फिट बैठ रही है। अपनी दुकान तो अंदर चल ही रही है, दुकान के बाहर जो जगह पैदल चलने वालों के लिए है, उसे भी किराये पर उठा कर माल कमा रहे हैं। ये दुकानदार आपस में चाहे जितना लड़े-झगड़ें, पर इस मुद्दे पर सब एक हो जाते हैं। अपनी दुकान के आगे रेहड़ी लगाने या यूं ही बैठ कर सामान बेचने की जगह देंगे और माहवारी किराया वसूल करेंगे। इसलिए सड़क सुरक्षा संस्था बनने के बावजूद अवैध रेहड़ियों और सड़क किनारे बाज़ार लगा कर बैठने के कारण परेशानी बनी की बनी रहती है।

किशनलाल तनेजा के बारे में ऐसा कहा बताते हैं कि उसका चरित्र पहले से ही संदिग्ध रहा है। वह पुलिस और पब्लिक पर रोब गांठने के लिए अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगा कर चलता था। एक बार जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोका तो वह उससे ही भिड़ गया और कहने लगा कि वह व्यापार मंडल का प्रधान है और किसकी यह मजाल जो मेरी गाड़ी को रोके। इस पर पुलिस ने जब कड़ी कार्रवाई का डंडा दिखाया और यह मामला मीडिया में आया तो उसे नीली बत्ती उतारनी पड़ी। लेकिन रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। अभी भी वह अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा। सड़क सुरक्षा संस्था का उप प्रधान बनने से इसे लग रहा है कि सारी सड़क उसी की है। अगर उससे कोई विनम्रतापूर्वक कहता है -बाबू जी, इन पटरी वालों को तो हटवाओ, सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है तो तनेजा तेज़ आवाज़ में उससे कहता है, अरे चल हट। सड़क क्या तेरे बाप ने बनवा कर दी है। जब संस्था का उप प्रधान ही ऐसी बातें करे तो कोई क्या कह सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी संस्था की विश्वसनीयता को खत्म कर देगा। पुलिस को चाहिए कि वे इस तरह का अवैध काम करने वालों को काबू में करें।

> एक बार जब एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोका तो वह उससे ही भिड़ गया और कहने लगा कि वह व्यापार मंडल का प्रधान है और किसकी यह मजाल जो मेरी गाड़ी को रोके। इस पर पुलिस ने जब कड़ी कार्रवाई का डंडा दिखाया और यह मामला मीडिया में आया तो उसे नीली बत्ती उतारनी पड़ी। लेकिन रस्सी जल गई मगर ऐंठन नहीं गई। अभी भी वह अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहा। सड़क सुरक्षा संस्था का उप प्रधान बनने से इसे लग रहा है कि सारी सड़क उसी की है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06